न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 290/2016 (अपील)

उनवान

1. मांगीलाल आत्मज लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)
2. रामप्यारी बाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी पाटनपोल, कोटा
3. शान्ति बाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी गोपाल जाति माली निवासी ग्राम सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा

(अपीलाण्टान)

बनाम

1. भेरूलाल आत्मज जमना लाल
2. बद्रीलाल आत्मज सत्यनारायण जी
3. विजेन्द्र कुमार आत्मज सत्यनारायण जी
4. अनोख बाई बेवा सत्यनारायण जी जाति बाकड निवासीगण ग्राम हिंगोनियां तहसील कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टान)

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री धीरेन्द्र मालव (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट 1955
बनाराजगी आदेश दिनांक 25.08.2016
न्यायालय तहसीलदार कनवास

निर्णय दिनांक : 16.12.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील इस आश्य की पेश की कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलान्ट स्वीकार कर ली गयी जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवेधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय से इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को प्रथमतः सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है । राज्य सरकार के परिपत्र के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत को प्रथम 45 दिन तक श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत मे भेजा नही गया और न ही ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की कोई राय ही प्राप्त की । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश राज्य सरकार के परिपत्र नोट्स 1982 के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्टान की आराजी पर से होकर रेस्पो0 का कभी भी रास्ता नही रहा है और नही रेस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह वर्णित किया कि अपीलांट की आराजी मे कदीमी सार्वजनिक प्रचलित रास्ता रेस्पो0 का रहा हो । रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई तथ्य व दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया है

जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट की आराजी पर से रेस्पो0 का रास्ता हो । अपीलान्ट द्वारा अपनी आराजी के चारों ओर पत्थर कोट कदिमी समय से कर रखा है इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट की आराजी पर रेस्पो0 का कभी रास्ता नही रहा है । रेस्पो0 का पूर्व से ही नहर पर से होकर प्रचलित रास्ता रहा है जिस पर से होकर रेस्पो0 अपनी आराजी पर हमेशा की भांति आज भी आता जाता रहा है । उक्त सभी तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं0 303,303/1,312, 314, 315, 304 के सभी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि ख0 नं0 312, 313,314, 315 से लगवा आवां से सांगोद वाला रोड निकल रहा है उक्त रोड पर से कभी भी रस्पोडेन्ट का रास्ता नही रहा है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार के सबूत के रेस्पो0 का रास्ता होना स्वीकार कर लिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट की आराजी पास मे कोई सरकारी भूमि स्थित नही है । खसरा नं0 314 की आराजी रामदेव आ0 कान्हा जाति चमार के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है व खसरा नं0 315 मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी विराजमान देह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है । इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति व नाबालिग मूर्ति मंदिर के हितो को प्रोजेक्ट किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे आदेश प्रदान कर दिया । अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि प्रार्थी को बिना नोटिस व जानकारी के आदेश प्रदान किया है जिसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 14.11.2016 को थाने मे उपस्थित होने पर हुई जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र लगाकर दिनांक 17.11.2016 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 25.08.16 से 14.11.16 की अवधि कन्डोन फरमाई जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 की ओर से श्री धीरेन्द्र मालव एड0 ने वकालत नामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि राज्य सरकार के परिपत्र के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत को प्रथम 45 दिन तक श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत मे भेजा नही गया और ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की कोई राय ही प्राप्त की इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश राज्य सरकार के परिपत्र नोट्स 1982 के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बिना रेस्पोडेन्ट की सुनवाई करे नया रास्ता कायम किया गया। वर्तमान मे रेस्पोडेंट का रास्ता चालू है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम जगदीशपुरा तहसील कनवास मे ख0 नं0 303/1 की 3.05 है0 भूमि स्थित है उक्त आराजी पर जाने के लिए पुराना रास्ता सांगोद कनवास मुख्य सडक से खसरा नं0 314 व 313 मे मध्य स्थित सरकारी भूमि पर होता हुआ ख0 नं0 304 की दक्षिणी मेड चलकर पश्चिमी मेड पर होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी पर आता है । उसी रास्ते का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोपर सुनवाई की जाकर नियमानुसार रास्ता कायम किया गया है । जो वर्तमान मे रास्ता चालू है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया ।

5 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.09.82 के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत को प्रथम 45 दिन तक सुनवाई व निर्णय करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है । रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा उक्त प्रकरण रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत मे भेजा नही गया और ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की कोई राय ही प्राप्त नही की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण भेरूलाल, जगन्नाथ, रामकिशन, कालूलाल के बयान व पटवारी हल्का कनवास की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2016 के आधार पर निर्णित किया गया है । अपीलान्ट को मौका निरीक्षण हेतु नोटिस नही दिया गया तथा उन्हे सुनवाई /साक्ष्य का भी पूर्ण अवसर दिया जाना नही पाया जाता है ।

6. उपर्युक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण ग्राम पंचायत हिंगोनियां पंचायत समिति सांगोद को इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह संबंधित समस्त पक्षकारान की सुनवाई कर बाद साक्ष्य विधि सम्मत निर्धारित अवधि में निर्णय पारित करें ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा